प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 11 फरवरी, 2026

विषय:- यात्रा भत्ता की अधिकृत श्रेणी में परिवर्तन/परिवर्द्धन के संबंध में।

वेतन समिति (2016) के सप्तम् प्रतिवेदन पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य सरकार द्वारा सरकारी सेवकों (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए) हेतु उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-3/2019/जी-2-41/दस-2019-601/2011, दिनांक: 05 मार्च, 2019 द्वारा यात्रा भत्तों की दरों व व्यवस्थाओं को पुनरीक्षित किया गया है।

2- उक्त शासनादेश दिनांक: 05 मार्च, 2019 के प्रस्तर-1 के बिन्दु-(1)(अ) के अनुसार मैट्रिक्स लेवल-15 एवं उच्च मैट्रिक्स लेवल के अधिकारियों को भारत में, शासकीय हित में की गई यात्रा हेतु वायुयान की एक्जीक्यूटिव श्रेणी अनुमन्य है। सम्प्रति अधिकांश एयरलाइंस में एक्जीक्यूटिव श्रेणी की अनुपलब्धता के दृष्टिगत लेवल-15 एवं उच्च लेवल के अधिकारी द्वारा बिजनेस क्लास की श्रेणी में यात्रा की जा रही है, जिसके फलस्वरूप बिल के भुगतान में तकनीकी/व्यावहारिक कठिनाई आ रही है।

3- अतएव उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के विषयगत शासनादेश संख्या-3/2019/जी-2-41/दस-2019-601/2011 दिनांक: 05 मार्च, 2019 के प्रस्तर-1 के बिन्दु संख्या-(1)(अ) के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कॉलम के क्रम सं0-1 में उल्लिखित यात्रा हेतु अधिकृत श्रेणी अब निम्नानुसार अनुमन्य होगी :-

क्रमांक	वर्तमान में	परिवर्तन/परिवर्द्धन के उपरान्त
1	"लेवल-15 एवं उच्च लेवल के अधिकारी को यात्रा हेतु अधिकृत श्रेणी वायुयान का एक्जीक्यूटिव क्लास"	"लेवल-15 एवं उच्च लेवल के अधिकारी को यात्रा हेतु अधिकृत श्रेणी- वायुयान का एक्जीक्यूटिव/बिजनेस क्लास"

4- विषयगत शासनादेश दिनांक 05 मार्च, 2019 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की अन्य तथ्य/शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

5- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के सुसंगत नियमों में आवश्यक संशोधन यथा समय किये जायेंगे।

भवदीय,

दीपक कुमार

अपर मुख्य सचिव।

संख्या एंव दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1- महालेखाकार, लेखा प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।
4- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5- निदेशक, वित्तीय प्रबन्धन प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

आज्ञा से,

अनुराग गुप्ता

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in